न्यायालय ...
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह ... तारीख फैसला ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 23.5.2023.... को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
## पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

| मुकदमा नम्बर | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 595ए / 2022 | 05-12-2022 | 23/05/2023 |

**उनवान**

01. श्रीमती शीलादेवी पत्नी कृष्ण अवतार पुत्र श्री दीपचन्द
02. विनोद कुमार
03. कर्णसिंह
04. अजयकुमार पुत्रान कृष्ण अवतार पुत्र दीपचन्द जाति अहीर निवासीगण ग्राम नरोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

**(बनाम)**

01. राज्य सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय, पैरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर

-----:: प्रतिवादी

**दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज**
**अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**–:: निर्णय ::–**

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 619/242 रकबा 2.30 है0 व 719/242 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। हाल आराजी खसरा नम्बर 619/242 रकबा 2.30 है0 व 719/242 रकबा 0.10 है0 में से 27/8000 हिस्सा जो मुगल पुत्र श्री दीपचन्द के नामित खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, वह आराजी इस वाद में विवादित भूमि कहलावेगी। विवादित आराजी जोकि मुगल पुत्र दीपचन्द के नामित रिकार्ड में दर्ज है। हम वादीगण के पति/पिता को गांव में दो नाम कमशः मुगल व कृष्ण अवतार के नाम से जाना जाता है। हम वादीगण के पति/पिताके दस्तावेजात सर्विस रिकार्ड में सही नाम कृष्ण अवतार का अंकन है, जो कि शिक्षा विभाग में अध्यापक रहा है। राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने सहबन से हम वादीगण के पति/पिता का गांव मुंगल के नाम से विवादित आराजी में अंकन कर दिया। हम वादीगण के पति/पिता कृष्ण अवतार का देहान्त हो चुका है। जिनके हम वादीगण विधिक एवं जायज वारिसान है, काबिज आराजी है। हम वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस कृष्ण अवतार के नहीं है। हम वादीगण के पति/पिता का असल नाम कृष्ण अवतार है व उनके सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्जावेज में व मृत्यु प्रमाण, सरपंच का प्रमाण [illegible] सही नाम कृष्ण अवतार है। हम वादीगण अपने पति/पिता के नामित विवादित आराजी में उनके [illegible] बाद काबिज व दाखिल है। जो आराजी हम वादीगण को अपने पति/पिता से [illegible] मौके पर हम वादीगण का वास्तविक कब्जा है। हम वादीगण पति/पिता कृष्ण अवतार की जमाबन्दी में [illegible] नाम मुंगल के नाम का अमल होने के कारण, हम वादीगण के पक्ष में विरासत इंतकाल दर्ज नहीं हो पा रहा है। जिससे हम वादीगण को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

अध्यापक रहा है। राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने सहबन
से हम वादीगण के पति/पिता का गांव मुंगल के नाम से विवादित आराजी में

पति/पिता से विरासत से मिली आराजी के हक हकूकों से बेजा तौर से वंचित होना पड रहा है। इसलिए हम वादीगण अपने पति/पिता के गलत नाम मुंगल को हजफ कराकर अमल नाम कृष्ण अवतार का अंकन कराने के अधिकारी है तथा ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। डिकी इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी इस अमर की पारित की जाकर करार दिया जावे कि हाल आराजी खसरा नम्बर 619/242 रकबा 2.30 है0 व 719/242 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। हाल आराजी खसरा नम्बर 619/242 रकबा 2.30 है0 व 719/242 रकबा 0.10 है0 में से 27/8000 हिस्सा जो मुगल पुत्र श्री दीपचन्द के नामित खातेदारी दर्ज रिकार्ड है वादीगण अपने पति/पिता के गलत नाम मुंगल को हजफ कराकर अमल नाम कृष्ण अवतार का अंकन कराने के अधिकारी है तथा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद उपस्थित होकर अपना बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया।

वादी अपने दौराने अपनी बहस वाद के तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण के पति/पिता के गलत नाम मुंगल को हजफ कर सही नाम कृष्ण अवतार का अंकन करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

तनकी नम्बर 1 – आया वादीगण अपने पति व पिता का नाम मुगल के स्थान पर कृष्ण अवतार घोषित कराने का अधिकारी है? —— जिम्मे वादीगण

यह की वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत भौकर, सर्विस बुक की प्रति, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र अजय कुमार पुत्र कृष्ण अवतार, रामकरण यादव पुत्र दीपचन्द जाति अहीर निवासी नसोपुर तहसील कोटकासिम एवं वारिसान के शपथ पत्र रामकरण यादव, शीलादेवी, करण यादव, अजय यादव के प्रस्तुत किये गये जिसके अनुसार मुगल पुत्र श्री दीपचन्द व कृष्ण अवतार पुत्र दीपचन्द एक ही आदमी के दो नाम होने के नाते गलत नाम मुगल पुत्र दीपचन्द के स्थान पर कृष्ण अवतार पुत्र दीपचन्द शुद्व किया जाना न्यायोचित है। इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर – 5 दादरसी।

यह की खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें।

## निर्णय

अतः वादी का वाद डिकी किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 619/242 रकबा 2.30 है0 व 719/242 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर पर दर्ज मुगल पुत्र दीपचन्द के स्थान पर कृष्ण अवतार पुत्र दीपचन्द नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो। पर्चा डिकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
## पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

| मुकदमा नम्बर | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 595ए/2022 | 05–12–2022 | 23/05/2023 |

**उनवान**

01. श्रीमती शीलादेवी पत्नी कृष्ण अवतार पुत्र श्री दीपचन्द
02. विनोद कुमार
03. कर्णसिंह
04. अजयकुमार पुत्रान कृष्ण अवतार पुत्र दीपचन्द जाति अहीर निवासीगण ग्राम नसोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

———:: वादीगण

(बनाम)

01. राज्य सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय, पैरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर

———:: प्रतिवादी

**दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज**

**अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**–:: पर्चा डिकी ::–**

हाल आराजी खसरा नम्बर 619/242 रकबा 2.30 है0 व 719/242 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम टपूकडा तहसील टपूकडा जिला अलवर पर दर्ज मुगल पुत्र दीपचन्द के स्थान पर कृष्ण अवतार पुत्र दीपचन्द नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:36 IST
Reason: SelfAttested